प्रेस नोट
दिनांक - 30.01.2025

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी गोण्डा द्वारा पुलिस कार्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दी गयी श्रद्धांजलि-

आज दिनांक 30.01.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुलिस कार्यालय में समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गयी।

इसी तरह जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी कार्यालयों एवम् थानों में भी पुलिस अधि०/कर्मचारीगण के द्वारा मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.01.2025

नवाचार : नये कानून 107(1) बीएनएसएस के तहत आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्ति एक अदद चार पहिया XUV कार व 01 अदद एप्पल मोबाइल फोन (कुल कीमत 10 लाख रुपयें) कुर्क/जब्त-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत समस्त राजपत्रित अधिकारी /थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि नए कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करते हुए उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होंने आपराधिक कृत्य से संपत्ति अर्जित की है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107(1) के दिये गये प्रावधानों के अनुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए।

दिनांक 04.03.2024 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक सर्राफे की दुकान में अभियुक्त राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पाण्डेय द्वारा अपने भाई तथा साथी के साथ लूट की घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को दिनांक 05.04.2024 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों से लूट की सम्पत्ति बरामद की गयी थी। जिसे मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे मुकदमा वादी के आवेदन पर मा0न्यायालय के आदेश के क्रम में लूटी गयी 385 ग्राम आभूषण (पीली धातु), 2 किलोग्राम चाँदी व 19 लाख 65 हजार रूपये नगद (लूट के आभूषण को बेचकर प्राप्त) को पुलिस द्वारा वादी को सुपुर्द किया जा चुका। तथा अभियुक्तों द्वारा लूट के कुछ आभूषणों को लखनऊ के अमीना बाग में बतासे वाली गली में ज्वेलर्स की दुकान पर बेचकर प्राप्त रूपयों से लखनऊ में एप्पल मोबाइल फोन व लखनऊ कार बाजार से सेकेन्ड हैण्ड XUV कार राघवेन्द्र उर्फ राजा पाण्डेय के नाम पर खरीदी गयी थी।

विवेचना के उपरान्त थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (नये कानून) की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय में याचना की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना कर्नलगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर लूट/चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त 1. राघवेन्द्र पाण्डेय उर्फ राजा पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय नि0 शाहपुर बाजार थाना परसपुर जनपद गोण्डा (गैंग लीडर) द्वारा अपने अपराधिक कृत्यों(लूट/चोरी) से अर्जित किये गये रुपयों से क्रय की गयी 01 अदद एक्स0यू0वी0 कार व 01 अदद एप्पल आईफोन मोबाइल अन्तर्गत धारा 107(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(नये कानून) के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया गया।

आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी।

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

01. 01 अदद एक्स0यू0वी0 कार नम्बर यू0पी0 32 जी0 डब्ल्यू 0077 (कीमत 8,50,000/- रूपये)।
02. 01 अदद एप्पल आई0 फोन मोबाइल (कीमत 1,50,000/- रूपये)।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0 97/24, धारा 392, 411, 414, 120 भादवि थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 0284/2024 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.01.2025</u>

<u>गोण्डा–अयोध्या बार्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण–</u>

<u>अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा महाकुम्भ के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज/अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु गोण्डा–अयोध्या बॉर्डर पर स्थित डायवर्जन/बैरियर प्वाइंट का निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश–</u>

गोण्डा। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन डा0 के0एस0 प्रताप कुमार पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा **<u>महाकुम्भ के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज/अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु गोण्डा–अयोध्या बॉर्डर पर स्थित डायवर्जन/बैरियर प्वाइंट</u>** प्वाइंट पर ड्यूटी में लगे पुलिस बलों को चेक कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए साथ ही बताया गया कि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न न हो, सदैव सतर्क रहते हुए ड्यूटी का निस्पादन करे जिससे किसी भी प्रकार की कोई घटना/दुर्घटना न घटित होने पाये। महोदय द्वारा विभिन्न स्थानों पर गश्त/भ्रमण कर श्रद्धालुओं से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया साथ ही प्र0नि0 नवाबगंज को बैरिकेटिंग, रूट चार्ट व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष दिशा–निर्देश दिए गए।

<u>इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज श्री निर्भय नारायण सिंह, चौकी प्रभारी सरयू घाट व पुलिस के अन्य अधि0/कर्मचारीगण मौजूद थे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>